भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.5457

उत्तर देने की तारीख 25 मार्च, 2026

रिचार्ज प्लान और डेटा टैरिफ में बढ़ोतरी

5457. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा कार्यान्वित रिचार्ज प्लान और डेटा टैरिफ में की गई वृद्धि की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उपभोक्ताओं को इस तरह की टैरिफ वृद्धि से राहत प्रदान करने के लिए किसी नियामक हस्तक्षेप पर विचार कर रही है;

(ग) देश भर में कॉल ड्रॉप के बढ़ने, कमजोर नेटवर्क सिग्नल और इंटरनेट की धीमी गति संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इसके लिए कोई दंड तंत्र लागू करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को दूरसंचार सेवाओं की दरों को अधिसूचित करने की शक्तियां दी गई हैं। मौजूदा टैरिफ फ्रेमवर्क के अनुसार, राष्ट्रीय रोमिंग, ग्रामीण फिक्स्ड लाइन सेवाओं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी और लीज्ड सर्किटों जैसी सेवाओं को छोड़कर, मोबाइल और डेटा सेवाओं के लिए टैरिफ फोरबियरेंस के अधीन है। मौजूदा विनियामक प्रावधानों के अनुपालन के अध्यधीन, सेवा प्रदाता बाजार की स्थिति और अन्य वाणिज्यिक विचारणीय पहलुओं को अपनी समझ के आधार पर टैरिफ डिजाइन करने और उसे ऑफर करने के लिए स्वतंत्र हैं। बाजार में प्रतिस्पर्धा मौजूद है और सरकार की नीतियों और ट्राई द्वारा अधिसूचित विनियामक फ्रेमवर्क से

भारत में मोबाइल सेवाओं के उपभोक्ताओं के लिए सबसे कम टैरिफ दरों के बराबर टैरिफ हो गई है।

(ग) ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (v) के तहत ट्राई को सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करने और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है ताकि दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जा सके।

मोबाइल सेवाओं की सेवा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं –

I. ट्राई द्वारा सेवा प्रदाताओं से आवधिक कार्य-निष्पादन निगरानी रिपोर्टें प्राप्त करके इसके द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता के विभिन्न पैरामीटरों के लिए बेंचमार्क के आधार पर सेवा प्रदाताओं के कार्य-निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

II. उक्त रिपोर्टें, प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) के लिए तिमाही आधार पर ट्राई को प्रस्तुत की जाती हैं। तथापि, मोबाइल सेवाओं के लिए रिपोर्ट, मासिक आधार पर प्रस्तुत की जाती है।

III. जहां कहीं सेवा की गुणवत्ता संबंधी बेंचमार्क पूरे नहीं किए जाते हैं, उन मामलों में ट्राई संबंधित सेवा प्रदाता से स्पष्टीकरण मांगता है और सेवा प्रदाताओं के उत्तर पर विचार करने के बाद, ट्राई अपने द्वारा बनाए गए विनियमों के प्रावधान के अनुसार वित्तीय दण्ड (एफडी) लगाता है।

IV. ट्राई, अपने ही अधिकारियों या स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से उक्त रिपोर्टों की लेखा-परीक्षा भी करता है।

(v) इसके अतिरिक्त, ट्राई, अपने ही अधिकारियों अथवा स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से चयनित रूटों पर ड्राइव टेस्ट करके सेवा की गुणवत्ता का आकलन करता है।

VI. ट्राई हितधारकों की जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट पर सेवा की गुणवत्ता और ड्राइव टेस्ट की लेखा-परीक्षा और आकलन के परिणाम प्रकाशित करता है।

(घ) और (ङ): ट्राई ने दिनांक 02.08.2024 के सेवा की गुणवत्ता के मानक एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा विनियम, 2024 में सेवा प्रदाताओं द्वारा किसी भी क्यूओएस पैरामीटर के निर्धारित बेंचमार्क का अनुपालन न करने की स्थिति में वित्तीय दंड (एफडी) लगाने का प्रावधान है।

विनियमों के अनुसार, सेवा प्रदाता को पहले उल्लंघन के लिए प्रति बेंचमार्क एक लाख रुपये से अनधिक की राशि: लगातार दूसरे उल्लंघन के लिए दो लाख रुपये और उसके बाद होने वाले प्रत्येक लगातार उल्लंघन के लिए तीन लाख रुपये का भुगतान करना होता है।

तदनुसार, जहां कहीं सेवा की गुणवत्ता संबंधी बेंचमार्क पूरे नहीं किए जाते हैं उन मामलों में संबंधित सेवा प्रदाता से स्पष्टीकरण मांगा जाता है और सेवा प्रदाता के उत्तर पर विचार करने के बाद, सेवा की गुणवत्ता संबंधी विनियमों के प्रावधान के अनुसार सेवा प्रदाता पर सेवा की गुणवत्ता के संबंध में पैरामीटरों के लिए वित्तीय दंड लगाया जाता है जिनका उसने पालन नहीं किया है।
